बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-कार्य०का०सू०-04/2018- 1281 – 1290 /वि०स० ।

प्रेषक,

राजीव कुमार,
उप सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
बिहार विधान सभा, पटना
(माननीय मुख्य मंत्री/माननीय उप मुख्य मंत्री/माननीय मंत्रिगण सहित) ।

पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2018 ई० ।

महोदय / महोदया,

निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि दिनांक- 26 फरवरी, 2018 की बैठक में सभा द्वारा स्वीकृत कार्य-मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन के अनुसार सत्र संबंधी कार्यक्रम अब निम्न रूप में लिए जायेंगे :-

1. वृहस्पतिवार, दिनांक 01 मार्च, 2018 को सभा की बैठक नहीं होगी;
2. सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2018 को सभा की बैठक 10.00 बजे पूर्वाह्न से होगी तथा वृहस्पतिवार, दिनांक 01 मार्च, 2018 के लिए निर्धारित प्रश्न (वर्ग-4) 10.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न तक लिये जायेगें;
3. सोमवार, दिनांक 05 मार्च, 2018 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर सामान्य विमर्श एवं सरकार के उत्तर के लिए 03 घंटे का समय निर्धारित होगी;
4. शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

विश्वासभाजन,
27/2/18
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-04/2018- 1281 – 1290 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव / प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / महाधिवक्ता, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् एवं सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

27/2/18
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-04/2018- 1281 – 1290 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

27/2/18
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-कार्य०का०सू०-04/2018- 1281 – 1290 /वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2018 ई० ।

प्रतिलिपि:- बिहार विधान सभा के उप सचिवगण / अवर सचिव, श्रव्य एवं दृश्य इकाई के सूचनार्थ प्रेषित ।

27/2/18
(राजीव कुमार)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।
27/02/18

सत्यमेव जयते

षोडश

बिहार विधान सभा

नवम सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-4

वृहस्पतिवार, तिथि 10 फाल्गुन, 1939 (श0) / 01 मार्च, 2018 (ई0)

प्रश्नों की कुल संख्या 01

(1) कृषि विभाग	01
कुल योग —	01

रेनड्रॉप का उपयोग

2. श्री मेवा लाल चौधरी- -क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राजस्थान, मणिपुर, महाराष्ट्र एवं अन्य कम वर्षा वाले राज्यों में रेनड्रॉप नामक पदार्थ को जमीन में मिलाकर खेती किया जाता है जिससे वहाँ के जमीन में एक बार पानी देने पर 90 दिनों तक नमी बनी रहती है किन्तु बिहार के सूखे जिलों में इस प्रकार की कोई कार्य योजना सरकार द्वारा नहीं चलायी गयी है जबकि सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 2011-12 एवं 2012-13 में रेनड्रॉप को सूखा प्रभावित जिलों में खेती में उपयोग करने की अनुशंसा की गयी थी, यदि हाँ, तो सरकार राज्य के सूखा प्रभावित जिलों में उक्त रेनड्रॉप (water absorbing granules) का उपयोग करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 1 मार्च, 2018 (ई0) ।

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 (एल0ए0), 97-डी0टी0पी0-550